मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 7, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) क्रमांक एफ-3-74-2008-छब्बीस-2, दिनांक 22 अगस्त, 2008 ;
(ख) क्रमांक एफ-1-22-2009-छब्बीस-2, दिनांक 15 सितम्बर, 2009; तथा
(ग) क्रमांक एफ-1-22-2009-छब्बीस-2, दिनांक 2 जुलाई, 2009

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-9-2006-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर में पेयजल व्यवस्था की उचित देख रेख न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी.सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद पंचायत कार्यालय में निर्वाचित सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना हेतु बजट आवंटन न होने की ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले में जावरा नयागांव सड़क मार्ग का निर्माण अपूर्ण होने के बाद भी टोल टेक्स की वसूली होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में अन्त्योदय स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को दस हजार रुपये अनुदान दिया जाता है, उसके स्थान पर बड़ी लागत की योजनाओं में 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाये".

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 फिट, राजमार्ग से 200 फिट एवं ग्रामीण मार्ग से 100 फिट की दूरी तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाये".

(3) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सागर के मकरोनिया रेल्वे स्टेशन से करापुरा-बंडा-दलपतपुर-शाहगढ़-हीरापुर बड़ा मलेहरा होकर खजुराहो तक नई रेल लाईन बिछाई जाये".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2010